

अजमेर साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

शेयर मार्केटिंग में निवेश का मोटा मुनाफा देकर करोड़ों की ठगी करने के 2 आरोपी गिरफ्तार

अजमेर, (कास)। शहर में बढ़ते साइबर अपराधों पर रोक लगाने को लेकर एसपी देवेन्द्र विश्णोई के दिशा निर्देशों पर अजमेर साइबर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शेयर मार्केटिंग में बड़ा मुनाफे का झांसा देकर 1 करोड़ 24 लाख की ठगी के मामले में गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों से 19 लाख 46 हजार 800 रुपए नगदी, 14 मोबाइल, 8 सिम, 4 एटीएम डेबिट कार्ड, ठगों से जुड़े 28 अन्य आरोपियों को नामजद करते हुए चिह्नित किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार विश्णोई ने सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि पुलिस थाना साइबर अपराध के प्रकरण संख्या 11/2024 धारा 316(2), 318(4), 112 व 61 भारतीय न्याय संहिता (बी.प.ए.स.) 2023 पुलिस थाना साइबर अपराध जिला अजमेर में परिव्रादी के साथ शेयर मार्केटिंग में बड़ा मुनाफे का झांसा देकर 1 करोड़ 24 लाख की ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार किया है।



जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार विश्णोई ने एक करोड़ रुपये की ठगी के मामले का खुलासा किया।

सोशल मीडिया के माध्यम से लिया झांसे में :- एसपी विश्णोई ने बताया कि 6 जुलाई को परिव्राद के साथ अज्ञात आरोपी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सम्पर्क कर शेयर मार्केट में बड़ा मुनाफा देने का झांसा देकर मोतीलाल ओसवाल पीएमएस का फर्जी एप डाउनलोड करवाकर उक्त एप के माध्यम से टुकड़ों में करीबन 1 करोड़ 24 लाख रुपए ठगी की वारदात अंजाम दी। एसपी ने बताया कि

आरोपी फर्जी तरीके से प्राप्त बैंक खातों में रकम डलाकर क्रिप्टोकैरेंसी/यूएसडीटी में बदल कर उक्त क्रिप्टोकैरेंसी/यूएसडीटी को भारतीय मुद्रा में बदलकर फर्जी तरीके प्राप्त अन्य बैंक खातों में डलाकर नकद निकाल लेते हैं।

यू चढ़े हथिये :- एसपी विश्णोई ने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान के लिए उ.नि. मनीष चारण के नेतृत्व में टीम का गठन किया जांच टीम ने

संबंधित बैंकों के नोडल अधिकारी एवं बैंक प्रबंधकों से सहयोग प्राप्त कर आरोपियों को चिह्नित कर दो आरोपी हरिश शर्मा पुत्र संजय शर्मा निवासी वार्ड नम्बर 20 मारुका बास कुचेरा पुलिस थाना कुचेरा जिला नागौर व रघुनाथ पुत्र रामदेव चौधरी निवासी ठाम मांझी तहसील डेगाना पुलिस थाना डेगाना जिला नागौर को गिरफ्तार कर लिया।

नकदी सहित मोबाइल व

- आरोपियों के कब्जे से 19 लाख की नकदी, 14 मोबाइल सहित अन्य सामान जब्त
- 28 अन्य आरोपियों को किया नामजद

डेबिट कार्ड, सिम जन्त :- एसपी विश्णोई ने बताया कि आरोपी हरिश शर्मा के कब्जे से 16 लाख 56 हजार 800 रुपए तथा दो मोबाइल फोन तथा आरोपी रघुनाथ के कब्जे से 11 स्मार्ट फोन व 1 कीपेड फोन, 4 बैंक पीएनबी बैंक की अन्य व्यक्तियों की पासबुक, अन्य व्यक्तियों के 4 एटीएम डेबिट कार्ड, 8 मोबाइल सीम कार्ड व 2 लाख 90 हजार की नकद जप्त की है। प्रकरण में अब तक 28 अन्य आरोपियों को नामजद किया है, जिनकी तलाश जारी है। प्रकरण में दोनों आरोपियों से 19 लाख 46 हजार 800 रुपए तथा 8 लाख 75 हजार 500 रुपए बैंक खातों में फ्रीज करवाए हैं। गिरोह शामिल अन्य शेष नामजद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।

ज्ञापन देने गये लोगों को अधिकारी नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया

सभापति पर नियमों के विपरित परिषद चलाने का आरोप



भीलवाड़ा नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में पार्श्वों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्री पर उग्र प्रदर्शन किया।

भीलवाड़ा। नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में पार्श्वों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्री पर उग्र प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मेश पारीक के नेतृत्व में नगर परिषद से कांग्रेस पार्श्व और कार्यकर्ता जिला कलेक्टर को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्ट्री पहुंचे, जहां अधिकारी नहीं

मिलने पर कांग्रेसियों ने हंगामा खड़ा कर दिया और कलेक्ट्री के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। अधिकारियों की अनुपस्थिति में ज्ञापन एसडीएम सिटी ऑफिस के बाहर चस्पा कर दिया गया। ज्ञापन में कांठोसियों का कहना था कि परिषद के बोर्ड गठन के बाद अब तक मात्र चार बार बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया, क्योंकि सभापति और अधिकारियों द्वारा नियमों के विपरित

परिषद को चलाया जा रहा है और जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ज्ञापन में सभी पार्श्वों के अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। कांठोस नेताओं ने परिषद सभापति राकेश पाठक को राजस्थान सरकार नगर पालिका कार्य संचालन अधिनियम 2009 के नियमों का दुरुपयोग करने के कारण बर्खास्त करने की मांग की है।

रेलवे ने पटरियों पर रील नहीं बनाने के प्रति किया आगाह

रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारों पर सेल्फी लेना हो सकता है जानलेवा

जोधपुर, (निर्स)। रेलवे ने रेल लाइनों और प्लेटफॉर्म किनारों पर सेल्फी लेने और सोशियल मीडिया के लिए रील बनाने वाले यात्रियों और आम लोगों को ऐसा नहीं करने के प्रति आगाह किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मोबाइल फोन के प्रचलन के साथ ही लोगों में रेलवे क्षेत्र में सेल्फी लेने और स्टैंट करने का क्रेज निरंतर बढ़ता जा रहा है जो जोखिम भरा और जानलेवा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मारवाड़ जंक्शन के पास गोरम घाट पर घटित घटना से सबक लेने की आवश्यकता है जिसमें एक दंपति पुल से गिरने से बुरी तरह से जखमी हो गए थे।

पटरियों व इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक के आसपास पतंगबाजी से बचने की भी सलाह

पर पतंगबाजी में प्रयुक्त मांड्रा इलेक्ट्रिकल तारों से करंट प्रवाह कर जानलेवा हो सकता है। इसके साथ ही रेलवे पटरियों व प्लेटफॉर्म के किनारों पर मोबाइल इस्तेमाल का इस्तेमाल करना भी घातक है।

डीआरएम ने कहा कि इसके अतिरिक्त यात्रियों द्वारा चलती ट्रेन में गेट के पायदान पर सेल्फी लेना अथवा रील बनाने की प्रवृत्ति भी जानलेवा है। उन्होंने यात्रियों व आमजन को आगाह करते हुए यात्रा के दौरान प्लेटफॉर्म के किनारों, रेल पटरियों और पुलों पर चढ़कर मोबाइल फोन के इस तरह से इस्तेमाल से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जोधपुर मंडल के सभी रेल खंडों पर इलेक्ट्रिकल कर्मियों का कार्य होने से लोगों को लेवल क्रॉसिंग से

जुड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि करंट युक्त तारों के नीचे से वह ज्यादा ऊंचाई वाले वाहनों का उपयोग नहीं करें अन्यथा करंट की चपेट में आने से दुर्घटना घटित हो सकती है।

रेलवे अधिनियम में है जुमाने का प्रावधान :- रेलवे अधिनियम की 189 की धारा 153 के तहत रेल यात्रियों और खुद की सुरक्षा को खतरों में डालने के कृत्य पर 1 से 5 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को सुरक्षा और संरक्षा के लिए भी प्रावधान करता है।

मालगाड़ी से रस के स्टैंट पर आरपीएफ ने की थी कार्यवाही :- उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष अप्रैल में जोधपुर क्रेट रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से रस करने का तीन युवकों का प्लेटफॉर्म पर स्टैंट करने का वीडियो वायरल होते ही आरपीएफ ने इनके विरुद्ध कार्यवाही की थी। यात्रियों ने इसका वीडियो बनाकर आरपीएफ को सूचित किया था।

पति-पत्नी ने ज्वैलर्स से की लाखों की धोखाधड़ी

अजमेर, (कास)। कोतवाली थाने क्षेत्र के एक ज्वैलर्स के साथ पति-पत्नी द्वारा लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामले सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि दंपति ने मिलकर 30 लाख 90 हजार रुपए का 421.940 ग्राम सोना खरीदकर धोखाधड़ी की है। पीड़ित ने सोना खरीदने के बाद जो रकम का चेक दिया गया वह बाउंस हो गया, रकम का तफाजा करने पर धमकियां दी जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वैशालीनगर निवासी सुनार अभिनव गोलेच्छ ने कोतवाली थाने में एक दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि नया बाजार में उसकी ज्वैलर्स की दुकान है, मार्च माह में निशाद खान और उनकी पत्नी नजमा खान सोना खरीदने आए थे। उन्होंने 421.940 ग्राम सोना खरीदा, जिसकी कीमत 30 लाख 90 हजार रुपये थी। सोना खरीदने के बाद दोनों ने एक चेक भी दिया था और कहा कि चेक को दी गई तारीख के बाद बैंक में जमा करा देना। पीड़ित गोलेच्छ ने बताया कि दंपति की बातों पर विश्वास करते हुए कुछ दिनों बाद बैंक में चेक लगाया, तो चेक बाउंस हो गया। इसके बाद उन्होंने निशाद और नजमा से संपर्क किया तो दोनों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए रकम लौटाने से मना कर दिया।

13 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोपी गिरफ्तार

सरसों तेल खरीद के रुपये मांगने पर बहाना बनाते रहे

भरतपुर, (निर्स)। थाना उद्योगनगर पुलिस ने 13 लाख 53 हजार 970 रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 अप्रैल को संजय पुत्र गोपालचन्द सिंघल जित वैश्य निवासी बीनारायण गेट भरतपुर हाल मालिक फर्म गोवर्धन आयल मिल पुराना औद्योगिक क्षेत्र उद्योगनगर ने विमलशाह पुत्र वीरेंद्रशाह, संजय शाह, विमल शाह व आलोकशाह प्रोपराइटर मां संतोषी भण्डार बक्सर

बिहार में बोगस फर्म निकली (बिहार) वैगराह के विरुद्ध उसके द्वारा व्यापारिक सम्बन्ध होने के नाते 2 जून 2016 को प्रोपराइटर मां संतोषी भण्डार बक्सर ने 13 लाख 53 हजार 970 रुपये का तेल खरीदा जिसे ट्रांसपोर्ट कम्पनी भरतपुर द्वारा भिजवाया गया। सरसों का तेल प्राप्त होने पर भी उनके द्वारा वीरेंद्रशाह, संजय शाह, विमल शाह व आलोकशाह यहां से पता नहीं कहा चले

गये है। हमारी जानकारी में नहीं है। इस सम्बन्ध में थाना उद्योगनगर पर मामला दर्ज कराया गया था। एएसआई रामगापोल मय जाप्ता द्वारा दौरान अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी विमलशाह पुत्र वीरेंद्रशाह उम्र 28 साल जाति वैश्य निवासी खरहाटार बक्सर थाना सिमरी जिला बक्सर हाल आशीवादी कुंज शरारी गुप्ती आरा रोड दानापुर थाना शाहपुर जिला पटना बिहार को गिरफ्तार किया गया है।

व आलोकशाह से तेल खरीद के रूपये मांगने पर मोबाइल फोन पर सम्पर्क करने पर दिलासा देते रहे। काफी समय व्यतीत होने पर उनके द्वारा बक्सर (बिहार) जाकर लोगों से प्रोपराइटर मां संतोषी भण्डार बक्सर (बिहार) की जानकारी की तो इस नाम की कोई फर्म नहीं होना बताया और लोगों से पृष्ठताछ में बताया कि वीरेंद्रशाह, संजय शाह, विमल शाह व आलोकशाह यहां से पता नहीं कहा चले

विवाहिता के फोटो, वीडियो किए वायरल

भीलवाड़ा। रायपुर थाना क्षेत्र के कोशीथल गांव में एक विवाहिता द्वारा मोबाइल रिपेयर करवाने के बाद में मोबाइल शॉप मालिक व मिस्त्री के द्वारा उसके निजी फोटो और वीडियो मोबाइल से लेकर वायरल कर लज्जा भंग और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है।

पीड़िता की रिपोर्ट के बाद में रायपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रायपुर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता के पति ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी पत्नी का पांच माह पूर्व आईफोन कंपनी का मोबाइल खराब हो गया था जिसको उसकी पत्नी ने कोशीथल में हेमेश सिंह सोलंकी की पवनपुत्र मोबाइल शॉप के नाम से दुकान है जिस पर रिपेयरिंग के लिए रखवाया। वहां पर मोबाइल रिपेयर करने वाले मिस्त्री हसन पिता जाकिर छिया निवासी कोशीथल ने उसके फोन के पासवर्ड लिए और निजी फोटो और वीडियो अपने कंट्रोल में लेकर गांव के अन्य लोगों को दिखाए और उसकी पत्नी को बार-बार मैसेज कर पांच लाख रुपए की मांग की, नहीं देने पर आरोपियों ने उसकी पत्नी के निजी फोटो और वीडियो वायरल कर दिए।

इसके बाद में पीड़िता के पति ने रायपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करावा दी है। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया।

न्यायालय में अपने साथी का होठ काटने वाला अधिवक्ता निलंबित

सात दिवस की निलंबित अवधि में पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिया

चुरू, (कास)। न्यायालय में अपने साथी का होठ काटने वाले अधिवक्ता को निलंबित किया गया है। जिला न्यायालय परिसर में दो अधिवक्ताओं के मध्य हुए विवाद में एक अधिवक्ता के होठ काटने की घटना पर सज्ञान लेते हुए जिला अधिभाषक संघ ने सोमवार को एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिला अधिभाषक संघ चुरू के अध्यक्ष नरेंद्र सैनी, बीरबल सिंह लाम्बा, आनन्द बालान, बजरंगलाल शर्मा, फफार अहमद खान, हकीम अहमद खान, सुरेंद्र सिंह शेखावाल, विजय सिंह रामपुर, गोपाल शर्मा, नरेंद्र सिंहाण, ललित गोसाम, रामेश्वर प्रजापति, गजेन्द्र खत्री, सीली खान, प्रताप सिंह बिदावार, सांवरमल स्वामी, राकेश बहादुर खान, उम्मेद सिंह, धने सिंह, अधिषेक पुनिया आदि ने अपने विचार व्यक्त कर अपने सुझाव दिये।

बैठक में इस सम्पूर्ण घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण माना। जिला अधिभाषक संघ चुरू की ओर से दोनों पक्षों को यहां उपस्थित होने के लिए तथा अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया। नोटिस के बाद एक पक्ष के सुरेश शर्मा उपस्थित हुए तथा दूसरे पक्ष महिमन जोशी

अनुपस्थित रहे। सुरेश शर्मा ने पूरा घटनाक्रम बताया जिसकी पुष्टि मौके पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने की। घटना के लिए महिमन जोशी को प्रथम दृष्टि दोषी माना गया।

इस दौरान महिमन जोशी द्वारा लिखा एक प्रार्थना पत्र राकेश बहादुर एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसमें घटना के संबंध में उचित निर्णय का अनुरोध किया गया, किंतु महिमन जोशी के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उस पर विचार किया जाना संभव नहीं हुआ व घटना की भर्तनी करने हुए घटना के लिए जिम्मेदार अधिवक्ता महिमन जोशी को कड़ी निंदा की गई। साथ ही बार द्वारा सर्व सम्पर्क में महिमन जोशी को जिला अधिभाषक संघ चुरू की प्राथमिक सदस्यता से 7 दिवस के लिए निलंबित किया गया। उक्त सात दिवस के अवधि में महिमन जोशी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिया गया। सात

दिवस में अपना पक्ष नहीं रखने की स्थिति में महिमन जोशी के सम्बन्ध में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए प्रस्ताव जाणा एक तथा जिला अधिभाषक संघ चुरू के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर उक्त प्रकरण पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की जायेगी। इस घटना के संबंध में जिले की सभी तहसील बार संघों ने भी महिमन जोशी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया है। इस अवसर पर सुरेश सिंह, संजीव वर्मा, हनुमान प्रसाद स्वामी, रमेश राहड, महेंद्र न्यौल, नरेंद्र सिंह राठौड़, अधिषेक टायरी, जगदीश कश्यप, सिक्कर खान, एडवोकेट सहाय हुर्रैन, योगेश शर्मा, पवन शेखावाल, वैदही शर्मा, शिवसिंह, नरेंद्र पुनियां, ओमप्रकाश वर्मा, विकास तंवर, विकास सैनी, बाबूलाल सैनी, आमीर खान, सुरेंद्र बगौड़ी थाना को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिया गया। सात

सी.आई.एस.एफ. जवान ने की आत्महत्या

छुट्टी पर आया था घर, तीन महीने पहले हुई थी शादी

चौरु/उनियारा, (निर्स)। सी.आई.एस.एफ. जवान ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। तीन दिन पहले ही वह छुट्टियां लेकर घर आया था। तीन महीने पहले जवान की शादी हुई थी। पत्नी 5 दिन ही ससुराल में रही थी। उसके बाद से जवान के ससुराल वाले पत्नी को नहीं भेज रहे थे। मामला टोंक के सोप में गांव कल्याणपुर का रविवार रात 2 बजे का है।



मृतक सी.आई.एस.एफ. जवान।

राकेश कुमार को कॉल किया था। राकेश खाट्ट्यामजी गया था। सुरेश ने पूछा था

कि भैया घर कितने बजे लौटोगे। राकेश ने कहा था, आ रहा हू एक दो बजे आ जाऊंगा। राकेश रात करीब दो बजे घर आया और सुरेश कमरे में गया तो वह पंखे से रस्सी के चोहरे लटक मिला। सुरेश को कि कोई बात नहीं है। मैं कुछ दिन बाद घर आऊंगा। वहीं बैठकर इस पूरे मामले पर बात करेगे। उन्होंने बताया कि सुरेश तीन भाइयों में सबसे छोटा था। तीन माह पहले ही शादी हुई थी। परिजनों के अनुसार वह आया जब किसी तरह के तनाव में नहीं था। अचानक उसने खुदकुशी करली। किस वजह से की, समझ नहीं आ रहा है। पुलिस मामले दर्ज कर जांच कर रही है।

ससुराल नहीं भेजा। शादी में लडकी पक्ष की ओर से देहेज में दी गई स्विफ्ट डिजाइर कार को भी करीब 15 दिन पहले ले गए थे। इसकी जानकारी हमने सुरेश को भी दे दी थी। सुरेश ने कहा था कि कोई बात नहीं है। मैं कुछ दिन बाद घर आऊंगा। वहीं बैठकर इस पूरे मामले पर बात करेगे। उन्होंने बताया कि सुरेश तीन भाइयों में सबसे छोटा था। तीन माह पहले ही शादी हुई थी। परिजनों के अनुसार वह आया जब किसी तरह के तनाव में नहीं था। अचानक उसने खुदकुशी करली। किस वजह से की, समझ नहीं आ रहा है। पुलिस मामले दर्ज कर जांच कर रही है।

अवैध हथियार सहित दो आरोपी गिरफ्तार

करौली (नि.स.)। करौली सदर थाना पुलिस ने दुकान पर बैठे युवक पर फायरिंग करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से एक देशी कट्टा, एक खाली कारतूस और एक मोटरसाइकिल जप्त की है। करौली सदर थाना अधिकारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि राजपाल 23 पुत्र हरीओम नाई निवासी चूरिया की थाना मामचारी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वो दुकान के सामने पट्टी पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। इसी दौरान फौजी गुर्जर पुत्र हंसराम निवासी रामपुर और शौशराम गुर्जर पुत्र मोहन गुर्जर निवासी चूरिया ने उस पर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद आरोपी मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों व घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार की तलाश में जुट गई। इस दौरान आसूचना अधिकारी कॉन्स्टेबल

धवन ने आरोपियों की पहचान की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शौशराम गुर्जर उर्फ शिकारी गुर्जर पुत्र मोहन गुर्जर 24 निवासी चूरिया थाना मामचारी और फौजी गुर्जर पुत्र हंसराम गुर्जर 21 निवासी रामपुर धाबाई, थाना सदर करौली को पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी गंगापुत्र जाने वाले रोड पर रामपुर धाबाई गांव की तरफ जाने वाले रास्ते में कहीं बाहर जाने की फिराक में खड़े है। फौजी गुर्जर के बाएं पैर में सफेद पट्टी बंधी है। इनके पास अवैध हथियार हो सकते हैं। सूचना पर थानाधिकारी पुलिस जाका के साथ मौके पर पहुंचे। जहां मुखबिर द्वारा दी सूचना के अनुसार हथियार के दो युवक खड़े मिले। जिन्हें पुलिस ने बड़ी सुझबूझ एवं संतकता से पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों से एक देशी कट्टा, एक खाली कारतूस व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है।

देवस्थान विभाग का अतिरिक्त कमिश्नर रिश्वत मामले में गिरफ्तार

जयपुर, (निर्स)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की अलवर टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त कमिश्नर (आरएसएम) देवस्थान विभाग आकाश रंजन को रिश्वत मांगने के एक मामले में गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट की पालना करते हुए जयपुर से गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि वर्ष 2017 में हुए रिश्वत प्रकरण का आरोप प्रमाणित होने पर यह कार्रवाई की गई है। उस दौरान आकाश रंजन तहसील के पद पर तैनात थे। परिव्रादी चन्द्र सिंह निवासी ठाम महेशर तहसील तिजारा ने एसीबी चौकी अलवर में 19 जुलाई 2017 को एक रिपोर्ट दी



आकाश रंजन

थी कि उसके पिता द्वारा खरीदी गई जमीन के वसीयतनामा के आधार पर उसके पुत्र एवं भाईयों के पुत्र के नाम इंकाल का

तहसीलदार तिजारा से निर्णय कराने की को मोबाइल फोन पर बात करवाई गई, बात करने के दौरान आरोपी आकाश रंजन तहसीलदार तहसीलदार का रिश्वत मांगने एवं प्राप्त करने में सम्मिलित होना पाया गया था। आकाश रंजन को ट्रेप की कार्रवाई की भनक लगाने पर मौके से फरार हो गया था। आकाश रंजन तहसीलदार तहसीलदार तिजारा जो अभी सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर में तैनात है। उनके खिलाफ अपराध प्रमाणित पाये जाने पर एसीबी कोर्ट अलवर में 16 फरवरी 2022 को चार्जशीट पेश की गई थी। आरोपी आकाश रंजन नोटिस तामील के पश्चात भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। पुलिस कोर्ट ने आरोपी आकाश रंजन का गिरफ्तारी वारंट जारी किया जिस पर गिरफ्तारी की गई।

राशि के संबंध में आरोपी राधेश्याम मौयं की मोबाइल फोन पर बात करवाई गई, बात करने के दौरान आरोपी आकाश रंजन तहसीलदार तहसीलदार का रिश्वत मांगने एवं प्राप्त करने में सम्मिलित होना पाया गया था। आकाश रंजन को ट्रेप की कार्रवाई की भनक लगाने पर मौके से फरार हो गया था। आकाश रंजन तहसीलदार तहसीलदार तिजारा जो अभी सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर में तैनात है। उनके खिलाफ अपराध प्रमाणित पाये जाने पर एसीबी कोर्ट अलवर में 16 फरवरी 2022 को चार्जशीट पेश की गई थी। आरोपी आकाश रंजन नोटिस तामील के पश्चात भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। पुलिस कोर्ट ने आरोपी आकाश रंजन का गिरफ्तारी वारंट जारी किया जिस पर गिरफ्तारी की गई।

RAJASTHAN HOUSING BOARD
No. - RE/RHB/BKN/2024-25/131 Dated - 12/07/2024
Notice Inviting Bid 01/2024-25
Bid for the work of Arbouriculture & Plantation work at Shiv Bari, RHB Scheme, Bikaner, Rs. 19.40 Lacs, of subject matter (s) of (Procurement) are invited from interested bidders from 16.07.2024 to 23.07.2024 upto 6.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the state and RHB websites: <https://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb>, <https://eproc.rajasthan.gov.in> & sppp.rajasthan.gov.in.
Raj No. : RHB2425WSO080095 Resident Engineer, Division-Bikaner
Raj.Samwad/C/24/2323

Office of Chief Medical & Health Officer, Pali (Raj.)
E-Mail ID-emo-h-pal-rj@nic.in, E-Mail ID- nuhmpali@gmail.com
Sr. No./NHME-Tender/2024 Dated-

Notice Inviting E-Bid
E-Bid for Food & Accommodation Arranging and Printing Work/supply through rate contract are invited from interested bidders upto 22.07.2024. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://sppp.raj.nic.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in>) of the State. The approximate value of the Food Tender is Rs. 96 Lakh only and Printing Tender is Rs. 60 Lakh only.
1. UBN No. MHS2425WSRC01369. 2. UBN No. MHS2425SLRC01370
Chief Medical & Health Officer
DIPRC/5922/2024 Pali

कार्यालय अधिशाषी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-पाली (राज.)
क्रमांक-1114 से 1140 (दिनांक-10.07.2024)
निविदा सूचना संख्या - 04 वर्ष 2024-25
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संबद्ध एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संचालन/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संबद्धों को कि राजस्थान सरकार के ए. ए. श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो से निर्धारित प्रथम में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा अंतिमस्थान निविदायें प्राप्त करने हेतु आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित वेबसाइट www.diprc.rajasthan.gov.in व <https://sppp.rajasthan.gov.in> व <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।
निविदा के NIB Code है - PWD2425A0695
निविदा की UBN No. है - PWD2425WSO02454, PWD2425WSO02455, PWD2425WSO02456, PWD2425WSO02457, PWD2425WSO02458, PWD2425WSO02459
अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड-पाली
DIPRC/5916/2024